

## सांख्यिकीय शिक्षा परिषद्.

### उत्तर प्रदेश सम्बद्धता।

संख्या:- प्राक्षिप/परिषद् सम्बद्धता/2021/3537

संख्या का दिनांक: 09/08/2021

#### कार्यालय जापन

अग्रिम भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली/फार्मेसी काउन्सिल और हाइड्रोग्रा, नई विल्ली द्वारा गैरिफ्ट सत्र 2021-22 हेतु डिल्लीमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरीत प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक - 08/08/2021 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं की सम्बद्धता पूर्ण से संयोजित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/ पाठ्यक्रम/ प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मद्दों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उच्चमें अकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4106-ITM COLLEGE OF PHARMACY AND RESEARCH,PLOT NO AL.1  
SECTOR-7 GIDA,GORSKHPUR-273209**

क्रमसंख्या	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद् द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

#### सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ नंस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् विनियमबदली 1992 से सम्बद्ध विनियमबदली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्क नियांरण समिति द्वारा निर्धारित शूल्क तीन वर्षीय हृजी० पाठ्यक्रम हेतु ₹० ३०१५०.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹० ४५०००.००/- प्रतिवर्ष शूल्क ही प्रत्येक छात्रछात्रां द्वारा नियमित विषय जिसे जाने वाले शासनादेश प्रभागी होंगे, और नदियुक्त कार्यशाला किया जाना जाता आवश्यक होगा। फीस नियांरण समिति द्वारा पर्याप्त होगी, और नदियुक्त कार्यशाला किया जाना है, तो फीस की नवीनीकरण दरे लाग जाएंगी।
- ✓ संस्था को (उत्तर प्राविधिक शिक्षा समितिया तथा उप समितिया संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाना) विनियमबदली-2016 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।